

गृह मंत्रालय
मांग संख्या 46
गृह मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व	454.06	2302.35	2756.41	767.09	2960.54	3727.63	1079.02	2760.65	3839.67	1066.70	3263.84	4330.54
पूँजी	49.91	43.33	93.24	264.91	142.05	406.96	11.24	104.74	115.98	183.30	117.06	300.36
जोड़	503.97	2345.68	2849.65	1032.00	3102.59	4134.59	1090.26	2865.39	3955.65	1250.00	3380.90	4630.90
ब.अ. 2016-2017												
1. सचिवालय- सामान्य सेवाएं	2052	307.14	307.14
	4070	2.00	2.00
	जोड़	309.14	309.14
2. राजभाषा	2070	9.00	56.11	65.11
3. जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	2552	30.00	...	30.00
	3454	269.80	286.21	556.01
	4070	0.20	...	0.20
	जोड़	300.00	286.21	586.21
4. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग	2070	0.01	44.04	44.05
	4059	0.01	...	0.01
	जोड़	0.02	44.04	44.06
5. प्रवासी और प्रत्यावर्तित को राहत और पुनर्वास	2235	16.16	16.16
	3601	894.12	894.12
	जोड़	910.28	910.28
6. स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन तथा अन्य लाभ	2235	760.16	760.16
7. जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष उद्योग पहल	2250	70.00	...	70.00
8. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए आर्थिक सहायता	3053	86.00	86.00
9. नागरिक कार्यवाई कार्यक्रम, जेल और अन्य कार्यक्रम	2013	1.00	1.00
	2056	3.00	3.00
	2070	72.73	72.73

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
2075	0.05	0.05
2250	10.00	11.93	21.93
जोड़	10.00	88.71	98.71
10. आपदा प्रबंधन												
10.01	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	30.91	30.91
10.02	राष्ट्रीय आपदा राहत निधि और अन्य आपदा कार्यक्रम	12.22	610.82	623.04
3601	23.11	...	23.11
3602	0.64	...	0.64
जोड़	35.97	610.82	646.79
10.03	राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना(एनसीआरएमपी) - ईएपी घटक	11.92	...	11.92
3601	630.00	...	630.00
जोड़	641.92	...	641.92
10.04	आपदा प्रबंधन पर पूंजीगत परिव्यय	183.09	77.04	260.13
जोड़- आपदा प्रबंधन	860.98	718.77	1579.75
11. नागरिक रक्षा और अग्नि और आकस्मिक सेवा												
2070	18.43	18.43
3601	10.00	10.00
4059	32.30	32.30
4070	5.72	5.72
जोड़	66.45	66.45
12. होमगार्ड												
3601	37.00	37.00
13. केन्द्रीय अधिनियमों और विनियमों के प्रशासन के लिए राज्य सरकारों को अदायगी												
3601	18.03	18.03
सं.अ. 2015-2016												
14.	सचिवालय- सामान्य सेवाएं	...	254.28	254.28	...	291.95	291.95	...	273.40	273.40
4059	...	0.71	...	0.71	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
4070	1.48	1.48	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00
जोड़	...	0.71	255.76	256.47	0.01	293.95	293.96	0.01	275.40	275.41
जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी												
15.	जनगणना	388.05	260.38	648.43	254.58	282.50	537.08	329.88	261.08	590.96
4070	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40
जोड़	...	388.05	260.38	648.43	254.98	282.50	537.48	330.28	261.08	591.36
अन्य प्रशासनिक सेवाएं												

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017			
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
16.	राजभाषा	2070	5.65	42.66	48.31	5.00	51.42	56.42	6.70	47.86	54.56
17.	केन्द्रीय अधिनियमों और विनियमों के प्रशासन के लिए राज्य सरकारों को अदायगी	3601	...	54.50	54.50	...	52.03	52.03	...	7.53	7.53
18.	नागरिक सुरक्षा	2070	...	5.23	5.23	...	7.63	7.63	...	7.38	7.38
		3601	...	4.89	4.89	...	11.00	11.00	...	10.00	10.00
		4059	0.30	0.30	...	0.10	0.10
		4070	...	0.11	0.11	...	0.22	0.22	...	0.22	0.22
		जोड़	...	10.23	10.23	...	19.15	19.15	...	17.70	17.70
19.	होम गार्ड	3601	...	30.00	30.00	...	41.00	41.00	...	36.54	36.54
20.	अन्य मदें	2013	...	0.04	0.04	...	1.00	1.00	...	0.20	0.20
		2070	...	56.65	56.65	0.01	68.77	68.78	0.01	66.83	66.84
		2250	...	0.23	0.23	...	0.68	0.68	...	0.52	0.52
		3601	...	6.00	6.00	...	9.00	9.00	...	6.00	6.00
		4059	...	12.00	12.00	...	40.00	40.00	...	30.00	30.00
		4070	...	0.14	0.14	...	5.50	5.50	...	1.50	1.50
		4216
		जोड़	...	75.06	75.06	0.01	124.95	124.96	0.01	105.05	105.06
	जोड़-अन्य प्रशासनिक सेवाएं		5.65	212.45	218.10	5.01	288.55	293.56	6.71	214.68	221.39
21.	पुलिस स्मारक	4059	40.31	...	40.31
22.	विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय चक्रवात न्यूनीकरण परियोजना													
	22.01 ईएपी घटक	2245	416.00	...	416.00	164.23	...	164.23
		3601	469.77	...	469.77
		जोड़	416.00	...	416.00	634.00	...	634.00
23.	पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान	2552	29.00	...	29.00	29.00	...	29.00
24.	वास्तविक वसूलियां	2052
		3454	...	-11.42	-11.42
		जोड़	...	-11.42	-11.42
	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण													
25.	श्रीलंका से स्वदेश लौटे व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास	3601	...	59.96	59.96	...	50.00	50.00	...	48.00	48.00
26.	जम्मू और कश्मीर के विस्थापितों को राहत और पुनर्वास	3601	...	160.00	160.00	...	580.00	580.00	...	280.00	280.00
27.	अन्य देशों से स्वदेश लौटे व्यक्ति	2235	...	4.01	4.01	...	16.16	16.16	...	60.79	60.79
		3601	...	0.10	0.10	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03
		जोड़	...	4.11	4.11	...	16.19	16.19	...	60.82	60.82

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
28. अन्य पुनर्वास कार्यक्रम	3601	...	46.00	46.00	...	75.46	75.46	...	193.36	193.36	
29. स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन तथा अन्य लाभ													
29.01 स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम	2235	...	785.44	785.44	...	750.15	750.15	...	790.10	790.10	
29.02 स्वतंत्रता सेनानियों के लिए मुफ्त रेलवे पास	2235	...	0.03	0.03	...	0.01	0.01	
29.03 स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सम्मान पत्र वितरण	2235	0.01	0.01	
जोड़- स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन तथा अन्य लाभ		...	785.47	785.47	...	750.16	750.16	...	790.11	790.11	
जोड़-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण		...	1055.54	1055.54	...	1471.81	1471.81	...	1372.29	1372.29	
नागर विमानन													
30. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए आर्थिक सहायता	3053	...	53.41	53.41	...	76.45	76.45	...	76.45	76.45	
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं													
31. अन्य मदें	2056	...	0.50	0.50	...	2.90	2.90	...	2.90	2.90	
	2070	...	30.73	30.73	...	40.05	40.05	...	48.27	48.27	
	2075	...	0.03	0.03	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04	
	2250	7.91	0.99	8.90	7.00	2.05	9.05	6.50	2.05	8.55	
जोड़		7.91	32.25	40.16	7.00	45.04	52.04	6.50	53.26	59.76	
32. जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष उद्योग पहल	2250	52.45	...	52.45	45.00	...	45.00	45.00	...	45.00	
जोड़-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं		60.36	32.25	92.61	52.00	45.04	97.04	51.50	53.26	104.76	
33. प्राकृतिक आपदा प्रबंध													
33.01 प्राकृतिक विपदाओं के लिये राहत													
33.01.01 कार्यक्रम घटक	2245	...	470.79	470.79	10.50	550.26	560.76	22.93	541.31	564.24	
	3601	5.00	...	5.00	
जोड़		...	470.79	470.79	10.50	550.26	560.76	27.93	541.31	569.24	
33.01.02 ईएपी घटक	2245	
जोड़- प्राकृतिक विपदाओं के लिये राहत		...	470.79	470.79	10.50	550.26	560.76	27.93	541.31	569.24	
33.02 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पर पूंजी परिव्यय	4250	8.89	29.60	38.49	264.50	94.03	358.53	10.83	70.92	81.75	
जोड़- प्राकृतिक आपदा प्रबंध		8.89	500.39	509.28	275.00	644.29	919.29	38.76	612.23	650.99	
34. वास्तविक वसूलियां	2245	...	-13.08	-13.08	
	3601	
जोड़		...	-13.08	-13.08	
कुल जोड़		503.97	2345.68	2849.65	1032.00	3102.59	4134.59	1090.26	2865.39	3955.65	1250.00	3380.90	4630.90

विकास शीर्ष	बजट सहायता			जोड़			बजट सहायता			जोड़		
	आं. व. वा. सं.	जोड़	...	आं. व. वा. सं.	जोड़	...	आं. व. वा. सं.	जोड़	...	आं. व. वा. सं.	जोड़	
ग. योजना परिव्यय												
केन्द्रीय योजना:												
1. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	32052	0.71	...	0.71	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
2. जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	13454	388.05	...	388.05	254.98	...	254.98	330.28	...	330.28	270.00	270.00
3. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	32070	5.65	...	5.65	5.01	...	5.01	6.71	...	6.71	9.02	9.02
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	29.00	...	29.00	29.00	...	29.00	30.00	30.00
5. लोक निर्माण कार्य	32059	40.31	...	40.31
6. प्राकृतिक आपदाएं	22245	8.89	...	8.89	691.00	...	691.00	197.99	...	197.99	24.14	24.14
7. अन्य सामाजिक सेवाएं	22250	60.36	...	60.36	52.00	...	52.00	51.50	...	51.50	263.09	263.09
जोड़ - केन्द्रीय योजना		503.97	...	503.97	1032.00	...	1032.00	615.49	...	615.49	596.25	596.25
राज्य योजना:												
1. राष्ट्रीय आपदा	43601	474.77	...	474.77	653.11	653.11
जोड़ - राज्य योजना		474.77	...	474.77	653.11	653.11
संघ राज्य क्षेत्र योजना :												
संघ राज्य क्षेत्र योजना (विधानमंडल के साथ)												
1. राष्ट्रीय आपदा	43602	0.64	0.64
जोड़ - संघ राज्य क्षेत्र योजना		0.64	0.64
जोड़		503.97	...	503.97	1032.00	...	1032.00	1090.26	...	1090.26	1250.00	1250.00

नोट : गृह मंत्रालय के अन्य व्यय से संबंधित प्रावधानों का इस मांग के साथ विलय कर दिया गया है।

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान गृह मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों, राजभाषा के विभागीय लेखाकरण संगठन और संसदीय समिति के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **राजभाषा:** इसमें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाने, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों आदि से संबंधित व्यय शामिल है।

3. **जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी ::** इसमें आबादी संबंधी आंकड़े इकट्ठे करने तथा दस वर्षीय जनगणना करने के लिए जिम्मेदार भारत के महारजिस्ट्रार तथा जनगणना आयुक्त के कार्यालय के लिए प्रावधान शामिल हैं। योजनागत प्रावधान चालू स्कीमों के लिए है।

4. **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग:** इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रशासनिक एवं अन्य व्यय के लिए प्रावधान शामिल है।

5. **प्रवासियों और प्रत्यावासियों को राहत एवं पुनर्वास:** इस प्रावधान का बड़ा भाग (i)जम्मू एवं कश्मीर में कश्मीरी प्रवासियों तथा सीमावर्ती प्रवासियों को राहत प्रदान करने, जम्मू एवं कश्मीर सरकार को प्रतिपूर्ति करने के लिए है। इस(ii) निधि का उपयोग शिविरों में ठहरे हुए श्रीलंका के शरणार्थियों के राहत एवं पुनर्वास के लिए भी किया जाता है। (iii) इसमें तिब्बत तथा भूतपूर्व पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों पर होने वाला व्यय,(iv) त्रिपुरा, असम और मिजोरम के पूर्वोत्तर राज्यों के राहत एवं पुनर्वास सहायता तथा(v),1984 के दंगा पीड़ितों के बड़े हुए मुआवजे के लिए व्यय शामिल है।

6. **स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन एवं अन्य लाभ:** इस योजना के अंतर्गत भूतपूर्व अण्डमान राजनीतिक कैदियों, स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके आश्रितों (i)को पेंशन प्रदान की जाती है (ii)इसमें गोवा मुक्ति आन्दोलन (iii) तथा भूतपूर्व निजाम स्टेट आफ हैदराबाद का भारत संघ में विलय करने के लिए हुए संग्राम में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के लिए पेंशन के भुगतान का प्रावधान शामिल है।

7. **जम्मू एवं कश्मीर के लिए विशेष उद्योग पहल:** इस योजना के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्नातक, स्नातकोत्तर, प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स को रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल प्रदान किया जाता है।

8. **पूर्वोत्तर क्षेत्र में हेलीकाप्टर सेवाओं के लिए सब्सिडी:** इसमें पूर्वोत्तर के दूरवर्ती क्षेत्रों को शेष भारत से जोड़ने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में हेलीकाप्टर सेवाएं संचालित करने के लिए सब्सिडी के भुगतान हेतु प्रावधान शामिल है।

9. **नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम, जेल और अन्य कार्यक्रम:** इसमें केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, जम्मू एवं कश्मीर तथा अन्यत क्षेत्रों में नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम के लिए प्रावधान शामिल है। इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्रों में क्षेत्रीय सुधारात्मक प्रशासन संस्थान, जेल सुधार, विज्ञापन एवं प्रचार के लिए भी प्रावधान शामिल है।

10. **आपदा प्रबंधन:** यह प्रावधान (i) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रमों (प्राकृतिक तथा मानव जनित दोनों प्रकार की आपदाओं) पर होने वाले व्यय, (ii) प्राकृतिक आपदाओं से निपटने संबंधी साहित्यी प्रकाशित करने/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विभिन्न संस्थानों/विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान करने हेतु प्रावधान शामिल है। (iii) इसमें यूएसएआईडी, आपदा प्रबंधन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, (iv) आपदा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली एवं आंध्रप्रदेश और (v) एनडीआरएफ हेतु प्रावधान शामिल है।

11. **नागरिक सुरक्षा:** भारत सरकार की नीति के अनुसार, नागरिक सुरक्षा उपायों के लिए केन्द्रीय सहायता चुनिंदा स्थानों तथा महत्वपूर्ण संयंत्रों/संस्थापनों तक ही सीमित है जो उन्हें उनके सामरिक एवं रणनीतिक महत्व के आधार पर दी जाती है। इस प्रावधान में राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय और आपदा प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रमों संबंधी व्यय शामिल है। यह प्रावधान, राज्यों में अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के सुदृढीकरण तथा नागरिक सुरक्षा के नवीकरण जैसी योजनाओं के लिए भी है।

12. **होमगार्ड:** यह गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित एक व्यापक पैटर्न तथा नीति के अंतर्गत राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा गठित एक स्वयंसेवी बल है। होमगार्ड का उपयोग राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने, यातायात नियंत्रण, सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा करने, राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा और चुनाव संबंधी कार्यों में किया गया है।

13. **केन्द्रीय अधिनियमों एवं विनियमों के प्रशासन के लिए राज्य सरकारों को भुगतान:** इसमें नागरिकता अधिनियम और विदेशियों का पंजीकरण एवं निगरानी तथा अन्य अधिनियमों एवं विनियमों के प्रशासन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भुगतान हेतु प्रावधान शामिल है।